

बिहार सरकार पथ निर्माण विभाग

संयिका संख्या— प्र०—10/प्राक्क०—02—100/2026

पटना, दिनांक -

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

सेवा में,
महालेखाकार बिहार,
पटना।

द्वारा : वित्त विभाग।

विषय:— माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition (Criminal) No-351/2023 में दिनांक 16.10.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में न्यायाधिकरण में Hybrid Mode में सुनवाई हेतु आवश्यक संसाधन तथा Website निर्माण हेतु कुल 21.47 लाख (इक्कीस लाख सैंतालीस हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय के निमित्त प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition (Criminal) No-351/2023 में दिनांक 16.10.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में न्यायाधिकरण में Hybrid Mode में सुनवाई हेतु आवश्यक संसाधन तथा Website निर्माण हेतु कुल 21.47 लाख (इक्कीस लाख सैंतालीस हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय के निमित्त प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- विषयगत कार्य की निविदा प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् सम्पादित किया जाएगा।
- विषयांकित योजना का वित्त पोषण बजट व्यय शीर्ष "3054—सड़क तथा सेतु, उप मुख्य शीर्ष 03—राजकीय राजमार्ग, लघु शीर्ष 052—मशीनरी तथा उपस्कर, उप शीर्ष 0001— मशीने एवं उपकरण, विपन्न कोड— 41—3054030520001 अन्तर्गत विकलनीय का प्रस्ताव है।
- विषयगत कार्य का कार्यान्वयन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा कराया जायेगा। अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (मुख्यालय/लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना कार्य के निमित्त निकासी पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, नेहरू पथ, पटना से करेंगे एवं बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा निर्दिष्ट वरीय परियोजना अभियंता, कार्य के निमित्त व्ययन पदाधिकारी होंगे।

5. विषयगत कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किया जाता है :-

वर्ष	वित्तीय वर्ष (लाख रु में) विपत्र कोड— 40-3054030520001	भौतिक लक्ष्य
2026-27	21.47	सभी कार्य पूर्ण करना।
कुल	21.47	

6. मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना एवं प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पटना विषयगत कार्य की प्रगति की नियमित रूप से प्रतिमाह समीक्षा करेंगे।
7. इसकी सूचना मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग/सेतु प्रबंधन उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अवर सचिव (ले0/मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड पटना/ मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना-1, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को दे दी जाय।
8. प्रस्ताव पर स्कीम स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा प्राप्त है।
9. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 12888/वि0, दिनांक 03.12.2024 के आलोक में प्रस्ताव पर प्रस्ताव पर विभागीय सचिव की स्वीकृति संचिका के पृष्ठ संख्या पृ0-19/टि0 पर दिनांक - 19.08.2026 को प्राप्त है।
10. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0-18/टि0 पर दिनांक-14.08.2026 को प्राप्त है।

(दीपेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप सं० :- प्र०-10/प्राक्क०-02-100/2026

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विश्वेश्वरैया भवन, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

ह0/-

(दीपेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप सं० :- प्र०-10/प्राक्क०-02-100/2026

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (आय-व्ययक शाखा), पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना /जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

ह0/-

(दीपेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप सं० :- प्र०-10/प्राक्क०-02-100/2026

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/ मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना / अवर सचिव(ले०/मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग/सेतु प्रबंधन उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना / मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना/ वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमंडल पटना-1, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग विषयगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व डिजाइन, प्राक्कलन की जाँच के उपरान्त प्राक्कलन का प्रावैधिक स्वीकृति अविलम्ब प्रदान करेंगे।

3. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना इस कार्य की मासिक एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित रूप से अभियंता प्रमुख (मु०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(दीपेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :

ज्ञाप सं०:- प्र०-10/प्राक्क०-02-100/2026

प्रतिलिपि :-माननीय विभागीय मंत्री, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ सचिव, पथ निर्माण विभाग/ आ० वि० स०, पथ निर्माण विभाग/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना), पथ निर्माण विभाग/ कार्यपालक अभियंता, योजना-1 एवं 2, पथ निर्माण विभाग / सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का प्रकोष्ठ / अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)/कार्य प्रबंधन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का प्रकोष्ठ/ प्रशाखा पदाधिकारी, आय व्ययक प्रशाखा-9/प्रशाखा-10 एवं 11, पथ निर्माण विभाग, पटना /मीशु मनीषा कुमारी, पी०एम०यु० लीड, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ अग्रसारित।

ह०/-

(दीपेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र० को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप सं०: प्र०-10/प्राक्क०-02-100/2026

5951(S)

पटना, दिनांक : 20/8/26

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(दीपेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र० को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

20.08.26